

ग्रमाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II-- खण्ड 3--- उपक्रव्य (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

40 99]

नई विल्ली, बुजवार, मई 31, 1967/जर्नेष्ठ IO, 1889

No. 991

T- 124 - 41 Em 4 ---

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 1967/JYAISTHA 10, 1889

इस अगा में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be flied as a separate compilation.

#### MIN'STRY OF EXTERNAL AFFAIRS

#### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th May 1967

G.S.R. 869.—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Passports Ordinance, 1967 (4 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

- 1. These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1967.
- 2. In the Passports Rules, 1967, in rule 12, after the words and figures "column 2 thereof", the following shall be inserted, namely:—

"and every such appeal shall be filed within thirty days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the applicant".

[No. VI/401/28/87-VOL. II].

New Delhi, the 36th May 1967

G.S.R. 870.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Ordinance, 1967 (4 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the citizens of India from section 3 of the said Ordinance in so far as the said Section relates to their departure from India as seamen, holding Valid Continuous Discharge Certificates issued in this behalf.

[No. VI/401/26/67-VOL. II]. S. BIKRAM SHAH, Jt. Secy

295)

## भारत का राजपत्र

असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) प्राधिकार से प्रकाशित

सं० 99] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 1967/ ज्येष्ठ 10, 1889

# इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1967

सा.का.नि. 869 - पासपोर्ट अध्यादेश, 1967 (1967 का 4) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्दवारा पासपोर्ट नियम, 1967 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का नाम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1967 है।

2. पासपोर्ट नियम,1967 में नियम 12 में "उसके कॉलम 2" शब्दों और अंकों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा. अर्थात:-

" और ऐसी प्रत्येक अपील आवेदक को वह आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील दायर को जानी है।"

[सं॰ VI/401/26/67- खंड II]

# नई दिल्ली, 30 मई, 1967

सा.का.नि. 870 - पासपोर्ट अध्यादेश, 1967 (1967 का 4) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ऐसा करना लोक हित में जरूरी समझने की राय से एतद्दवारा भारत के नागरिकों को वहां तक उक्त अध्यादेश की धारा 3 से छूट प्रदान करती है, जहां तक कि उक्त धारा उनके इस संबंध में जारी किए गए वैध निरंतर डिस्वार्ज प्रमाणपत्र को धारण करते हुए एक नाविक के रुप में उनके भारत से प्रस्थान से संबंधित है।

[सं॰ VI/401/26/67- खंड II] एस: बिक्रम शाह, संयुक्त सचिव महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली द्वारा भारत में मुद्रित और प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित, 1967